कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग,मैनपुरी
पत्रांक 1596 /14–1 दिनांक:मैनपुरी:जनवरी 31 ,2017-18

सेवा में,

वन संरक्षक
आगरा वृत्त आगरा ।

विषयः– जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत शिकोहाबाद – भोगॉव राज्य मार्ग संख्या– 84 के चैनेज 21.000 से 43.800 एवं घिरोर बाईपास मार्ग (ल0 6.56 कि0मी0) कुल लम्वाई 25.66 कि0मी0 तक मार्ग का चार लेन चौड़ीकरण एवं सुद्रढीकरण निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 24.92755 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं 4645 बाधक वृक्षो के पातन की अनुमति के संबंध में ।

सन्दर्भः– मुख्य वन सरंक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0लखनऊ का पं0 1503/मैनपुरी/25364/2017 दि0 01–12–2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में मुख्य वन सरंक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0लखनऊ द्वारा उक्त प्रस्ताव पर जो आपत्तियॉ की गई है उन आपत्तियों का प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निराकरण विन्दुवार आख्या निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर आपकी सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

Observ No	Observation	Reply
1	2	3
1	प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रस्तावक की पावर आफ अटार्नी में प्रस्तावक के हस्ताक्षर को प्रमाणित नहीं किया गया है । प्रमाणित कर ऑनलाइन पार्ट–1 में अपलोड करने का कष्ट करें ।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रस्तावक की पावर आफ अटार्नी में प्रस्तावक के हस्ताक्षर को प्रमाणित कर ऑनलाइन पार्ट–1 में अपलोड कर दिया गया है ।
2	परियोजना में विद्यमान ROW, विद्यमान मार्ग , प्रस्तावित वनभूमि एवं चौड़ीकरण क उपरान्त अवशेष संरक्षित वनभूमि की चैनेजवार गणना एवं गैर वनभूमि की चैनेजवार अलग–2 गणना संलग्न नही है । सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न कराने का कष्ट करें एवं ऑनलाईन पार्ट–1 व 2 पर अपलोड कराने का कष्ट करें ।	दिये गये निर्देशानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी अभिलेख प्रस्ताव में आनलाइन अपलोड कर संलग्न कर दिये गये है ।
3	चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष संरक्षित वनभूमि पर व्रिकगार्ड वृक्षारोपण योजना संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है । पृष्ठ सं0 97 व 98 पर संलग्न योजना को पृथक कर दें व प्रयोक्ता एजेन्सी से इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ऑनलाइन अपलोड कराने व संलग्न कराने का कष्ट करें कि सेन्ट्रल वर्ज व चौड़ीकरण के उपरान्त मार्ग के दोनो ओर स्थान रिक्तता के आधार पर स्वंय के व्यय पर वृक्षारोपण किया जायेगा ।	चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष संरक्षित वनभूमि पर व्रिकगार्ड वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव से पृथक कर दी गई है एवं प्रयोक्ता एजेन्सी से सेन्ट्रल वर्ज व चौड़ीकरण के उपरान्त मार्ग के दोनो ओर स्थान रिक्तता के आधार पर स्वंय के व्यय पर वृक्षारोपण किये जाने सम्वन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न कर दिया गया है ।
4	ऑनलाइन पार्ट–1 पर अपलोड संरक्षति वनभूमि का गजट नोटिफिकेशन प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित नहीं है ।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संरक्षति वनभूमि का गजट नोटिफिकेशन प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित कर प्रति

		ऑनलाइन पार्ट–1 पर अपलोड कर दी गयी है ।
5	ऑनलाइन पार्ट–2 पर समस्त आवश्यक अभिलेख यथाः– प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि जमा करने की वचनबद्धता व एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने की वचनबद्धता, चिन्हित वन स्वरूप भूमि सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में सेंचुरी / वन्यजीव विहार की उपलब्धता, मक डिस्पोजल प्लान, आदि समस्त अभिलेख आनलाइन अपलोड कराने का कष्ट करें ।	दिये गये निर्देशानुसार उपरोक्त सभी अभिलेख प्रस्ताव में आनलाइन अपलोड कर दिये गये है ।
6	उपरोक्तानुसार सूचनाओं / अभिलेखों को पूर्ण कर प्रस्ताव पर कमवार पृष्ठ संख्या एंव तदनुसार विषय–सूची को अपडेट कराने का कष्ट करें ।	उपरोक्तानुसार सूचनाओं / अभिलेखों को पूर्ण कर प्रस्ताव पर कमवार पृष्ठ संख्या एंव तदनुसार विषय–सूची को अपडेट कर दिया गया है ।

संलग्नकः– 04 पत्रावलियॉ

भवदीय

(सिद्धार्थ अम्बेडकर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी

पत्रॉक / दिनॉकित

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी को सूचनार्थ प्रेषित ।

(सिद्धार्थ अम्बेडकर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी